

प्रेस-विज्ञप्तिथाना-बरदहनाबालिक लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के पश्चात हत्या करने वाला वांछित अभियुक्तगिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, वारंटी, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 24.2.2021 को प्रभारी निरीक्षक बरदह विनोद कुमार मय हमराह द्वारा कस्बा दुबरा में चेकिंग संदिग्ध वाहन/संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग कर रहे थे उसी समय मुखबीर से सूचना मिला कि मु0अ0स0 192/20 धारा 363,366,376,302,201 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट , 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गुड्डू उर्फ पवन महुजामोड पर खड़ा है कहीं जाने की फिराक में वाहन का इन्तजार कर रहा है । इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मय हमराहियान के दुबरा बाजार से रवाना होकर महुजा तिराहा पर पहुंचे कि वहा खड़ा व्यक्ति पुलिस बल को देखकर भागने का प्रयास कि पुलिस टीम द्वारा एक बारगी घेर कर आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए समय 9.50 बजे पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम गुड्डू राम उर्फ पवन पुत्र जियालाल ग्राम दरियापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ बताया। पकड़े गये व्यक्ति की जामा तलाशी ली गई तो अभियुक्त के पास से मृतिका का डक द्वारा प्राप्त मूल आधार कार्ड का शेष भाग बरामद हुआ। अभियुक्त को उसके अपराध का बोध कराकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 192/20 धारा 363,366,376,302,201 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट, 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त

गुड्डू राम उर्फ पवन पुत्र जियालाल ग्राम दरियापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी

मृतिका का डक द्वारा प्राप्त मूल आधार कार्ड का अवशेष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मय हमराह का0 देवेश यादव का0 हेमन्त कुमार का0 आनन्द कुमार चौरसिया म0का0 कविता मेहरोत्रा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ।

थाना-मुबारकपुर

01 अदद अवैध तमन्चा एवं 02 अदद जिन्दा कारतूस.135 बोर के साथ टाप-टेन

अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं टाप टेन, ईनामिया एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में दिनांक 23.02.2021 को उ.नि. कमल नयन दूबे मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा मु.अ.स. 235/20 धारा 307 भादवि में वांछित व थाना मुबारकपुर आजमगढ़ के टाप टेन अभियुक्त नफीस पुत्र अब्दुल वली निवासी पुरादुलहन थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को मुखबीर की सूचना पर चिवटही तिराहा से समय 8.40 बजे गिरफ्तार कि या गया तथा मौके पर उसके कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-38/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

नफीस पुत्र अब्दुल वली निवासी पुरादुलहन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
बरामदगी

एक अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-38/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना मुबारकपुर आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 574/05 धारा 302,120 बी भादवि
2. मु0अ0सं0- 218/03 धारा 294,324,504,506,377,511 भा.द.वि.
3. मु0अ0सं0- 325/03 धारा ¼ गुण्डा एक्ट
4. मु0अ0सं0- 202/06 धारा 4/25 ARMS ACT
5. मु0अ0सं0- 436/07 धारा ¼ गुण्डा एक्ट
6. मु0अ0सं0- 523/09 धारा 394,411,120बी भादवि
7. मु0अ0सं0- 74/11 धारा 399 भा.द.वि
8. मु0अ0सं0- 265/17 धारा ¼ गुण्डा एक्ट
9. मु0अ0सं0- 139/16 धारा 147,342,332,353 भा.द.वि.
10. मु0अ0सं0- 235/20 धारा 307 भादवि

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ.नि. कमल नयन दूबे थाना मुबारकपुर जनपद-आजमगढ़
का. नवीन निश्चल पाण्डेय थाना मुबारकपुर जनपद-आजमगढ़
का. अभय नारायान यादव थाना मुबारकपुर जनपद-आजमगढ़

हे.का. विपिन सिंह थाना मुबारकपुर जनपद-आजमगढ़
का. अवधेश कुशवाहा थाना मुबारकपुर जनपद-आजमगढ़

थान-देवगाँव

22 शीशी देशी शराब के साथ अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, वारण्टी, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में दिनांक 23.02.2021 को उ०नि० अभिषेक सिंह मय हमराह के साथ चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / संदिग्ध वाहन एवं वारंटी की गिरफ्तारी हेतु ग्राम सिकरौरा में मौजूद थे कि मुखबिर ने सूचना दिया कि तिरौली मोड़ पर एक महिला झोले में शराब लेकर कहीं बेचने जा रही है। इस सूचना पर उ०नि० मय हमराह द्वारा तिरौली तिराहे पर पहुंचे कि पुलिस बल को सामने देखकर एक महिला अपने हाथ में झोला लेकर गोसाईगंज रोड की तरफ जाने लगी। महिला आरक्षी की मदद से उक्त महिला को घेरकर वही पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम रीता चौहान पत्नी चन्द्रशेखर चौहान निवासी सिकरौरा थाना देवगाँव आजमगढ़ बताया। म०आ० द्वारा जामा तलाशी से उसके पास लिए झोले से 22 शीशी देशी शराब बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 31/2021 धारा 60 आबकारी अधि नियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्ता

रीता चौहान पत्नी चन्द्रशेखर चौहान नि० सिकरौरा थाना देवगाँव आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०स० 31/2021 धारा 60 आबकारी अधि० थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

बरामदगी

22 शीशी देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम

उ०नि० अभिषेक सिंह मय हमराह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।

थाना सिधारी

नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता बरामद

अपहृता लड़की के माता पिता ने दिनांक 22.02.2021 को थाना सिधारी पर शिकायत दर्ज करायी कि मेरी लड़की को किसी डी०जे० वाले व्यक्ति ने बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस

सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 30/21 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 बंशराज सिंह द्वारा प्रारम्भ किया गया ।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेकर तत्काल अपहता की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक सिधारी एव विवेचक को निर्देशित किया गया । जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर डा0 राजेश तिवारी के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में उ0नि0 बंशराज सिंह चौकी प्रभारी मुसेपुर मय हमराही म0का0 गुंजन यादव के साथ मु0अ0स0 31/21 धारा 363/366 भादवि मे अपहता की बरामदगी हेतु मामूर थे तभी विश्वस सूत्रो से पता चला कि को बहला फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त , अपहता के साथ रेलवे स्टेशन के बाहर साईकिल स्टैण्ड के पास मौजूद है तत्पश्चात् हमराहीगण व म0का0 को साथ रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे कि पुलिस बल को देखकर वह भागने का प्रयास किया कि तभी पुलिस बल द्वारा एक बारगी घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर उसे समय 19.40 बजे गिरफ्तार गिरफ्तार कर अपहता लड़की को म0का0 को सुपुर्द किया गया । गिरफ्तार लड़के का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सूरज चौहान पुत्र गुलाब चौहान सा0 नरौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ बताया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-30/21 धारा 363/366 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अभि0 सूरज चौहान पुत्र गुलाब चौहान सा0 नरौली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

उ0नि0 बंशराज सिंह मय हमराह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ।

थाना- गम्भीरपुर

एक राय होकर जानलेवा हमले के मामले में तीन अभियुक्ता गिरफ्तार

वादी हरिशंकर अस्थाना पुत्र स्व0 कुन्ज बिहारी ग्राम परशुरामपुर छाँऊ थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ने थाना गम्भीरपुर पर शिकायत दर्ज करायी कि मेरे पुश्तैनी मकान के पीछे रास्ते से सटी जमीन जिस पर विपक्षी हरिश्चन्द्र पुत्र तपेसर पासी द्वारा नाजायज रूप से अपने जानवर बांधकर कब्जा कर लिया है । उक्त के सम्बन्ध में मौके पर समाधान हेतू दिनांक 23 फरवरी 2021 को सांय 5 बजे उपजिलाधिकारी निजामाबाद आजमगढ़ व लेखपाल राजेश राय के साथ आए हुए थे विवाद के सम्बन्ध

में हम दोनो पक्षो को बुलाकर बातचीत कर रहे थे कि इसी बीच विपक्षी 1.हरिश्चन्द्र पुत्र तपेसर पासी , 2.कमला पत्नी हरिश्चन्द्र 3.विजय और 4.जय किशन पुत्रगण हरिश्चन्द्र, 5.आरती उर्फ अंशू पुत्री हरिश्चन्द्र 6.गिरजा पुत्री हरिश्चन्द्र 7.सन्तोषी पत्नी विजय आदि परिवारीजन ने मौके पर गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू होकर एस.डी.एम महोदय व लेखपाल के समक्ष ही फावड़ा लेकर आये और मौके पर मौजूद मेरी बेटी प्रीती व अनीता तथा नाती हिमांशु पुत्र अरविन्द अस्थाना पर एक राय होकर जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला कर दिया । जिससे हिमांशु पुत्र अरविन्द का सिर फावड़े से फट गया और वह मौके पर लहुलुहान होकर बेहोश हो गया । यह देखकर जब मैने हो हल्ला मचाया तो हरिश्चन्द्र पुत्र तपेसर व उसके परिवारीजन पत्नी कमला , पुत्रीयाँ गिरजा व आरती तथा पुत्रगण विजय व जय किसन तथा पतोहू सन्तोषी पत्नी विजय आदि ने गालियाँ देते हुए हम सभी के उपर लाठी , डंडा, लोहे की राड फावडा आदि हथियारो से हमला कर दिये जिसमे हम सभी को काफी चोटे आयी व मेरे नाती हिमांशु की स्थिती नाजुक हो गयी । इस हमले में अमित पुत्र अरविन्द, हरिशंकर पुत्र कुन्ज बिहारी, हिमाशु पुत्र अरविन्द को काफी चोटे आयी । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 39/21 धारा 147,148,149,323,504,506,307,308,34 भादवि बनाम 1.हरिश्चन्द्र पुत्र तपेसर पासी , 2. कमला पत्नी हरिश्चन्द्र 3. विजय 4. जय किशन पुत्रगण हरिश्चन्द्र , 5.आरती उर्फ अंशू पुत्री हरिश्चन्द्र 6. गिरजा पुत्री हरिश्चन्द्र 7. सन्तोषी पत्नी विजय साकिनान ग्राम परशुरामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया ।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी के कुशल निर्देशन में कार्यवाहक प्रभारी उ0नि0 तारकेश्वर राय मय हमराह उ0नि0 सतीश कुमार यादव , का0 बैजनाथ सरोज व का0 मोनू कुमार , म0का0 सविता पटेल , म0का0 गरिमा सिंह के साथ वांछित,वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली की थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 39/21 धारा 147,148,149,323,504,506,307,308,34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तागण खुर्मपुर तिराहे पर कही जाने के फिराक में खडी है । इस सूचना पर कार्यवाहक प्रभारी उ0नि0 क्षेत्र में मौजूद उ0नि0 सतीश कुमार यादव मयहमराह म0का0 सविता पटेल व म0का0 गरिमा सिंह को साथ लेकर अभियुक्तागण के गिरफ्तारी के लिये खुर्मपुर तिराहे पर पहुचकर पहले से खड़ी महिलाओ के पास पहुचकर म0का0 द्वारा नाम पता पूछा गय तो उसने अपना नाम क्रमशः 1. आरती उर्फ अंशू पुत्री हरिश्चन्द्र , 2. कमला पत्नी हरिश्चन्द्र , 3. सन्तोषी पत्नी विजय निवासीगण ग्राम परशुरामपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ बताया । जिनको उनके अपराध से बोध कराकर समय करीब 10.00 बजे प्रातः म0का0 सविता पटेल व म0का0 गरिमा सिंह के हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तागण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 39/21 धारा 147,148,149,323,504,506,307,308,34 भादवि थाना गम्भीरपुर
जनपद आजमगढ़

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तागण

1. आरती उर्फ अंशू पुत्री हरिश्चन्द्र ग्राम परशुरामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
2. कमला पत्नी हरिश्चन्द्र ग्राम परशुरामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।
3. सन्तोषी पत्नी विजय निवासी ग्राम परशुरामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

प्रभारी उ0नि0 तारकेश्वर राय , उ0नि0 सतीश कुमार यादव , का0 बैजनाथ सरोज व का0 मोनू कुमार ,
म0का0 सविता पटेल, म0का0 गरिमा सिंह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ।

थाना- बरदह

चोरी गये इन्जन पार्ट के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 24.2.2021 उ0नि0 संजय सिंह मय हे0का0 योगेन्द्र यादव का0 अनुपम सिंह के चौकी ठेकमा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र करते हुए , चेकिंग संदिग्ध वाहन , तलाश वांछित अभियुक्त करते हुए आगामी पंचायत चुनाव के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था हेतु ग्रामों में भ्रमणशील होकर कस्बा ठेकमा मे बैक चेकिंग करते हुये कस्बा ठेकमा मे वाहन चेकिंग व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहा थे कि मुखबरी खास ने सूचना दिया कि मु0अ0स0 16/21 धारा 379 भादवि जो दिनांक 15.1.2021 को जमुआंवा मे इन्जन पार्ट चोरी से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डू उर्फ शाका बादिल बाबा मजार पुलिया पर मौजूद है व उसके पास सफेद बोरी मे कोई सामान है इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराहि मय मुखबीर के कस्बा ठेकमा से खाना होकर बादिल बाबा मजार के पास पहुंचे जहां पर कुछ दुर पहले ही मुखबीर खास द्वारा पुलिया पर खडे एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके हट बढ गया। पुलिस टीम मुखबीर खास द्वारा दिखाये खडे व्यक्ति के पास जैसे ही पहुंचे कि पुलिस को अचानक देखकर भागना चाहा कि एक बारगी हमराही फोर्स की मदद से मौके पर ही घेरकर समय करीब 10.10 बजे पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम गुड्डू उर्फ शाका पुत्र शिवजोर ग्राम पिछौरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष तथा उसके पास से प्लास्टिक के बोरे मे दिनांक 15.1.2021 को जमुआंवा गांव हुयी चोरी से सम्बन्धित इन्जन का पार्ट बरामद हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-16/2021 धारा 379,411 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त-

गुड्डू उर्फ शाका पुत्र शिवजोर ग्राम पिछौरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी-

फिल्ड मार्शन इंजन का पार्ट्स

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 संजय सिंह हे0का0 योगेन्द्र यादव का0 अनुपम सिंह

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 27 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।